पत्रांक : 1494 /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/2015–2016/दे0दून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 12 जून–2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1391/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/2015–2016 दिनांक 06.06.2015 द्वारा ऐसे 64 व्यापारियों जिनका कर निर्धारण वर्ष 2014–15 में सकल विक्रय धन रू0 500 करोड़ से अधिक है, के लिए फार्म–16 ऑनलाईन (e-Form 16) जारी/प्रयोग करने के सम्बन्ध में प्राविधान किए गए हैं, जिसके बिन्दु संख्या–7 में निर्देश दिए गए थे कि :–

7–"इन व्यापारियों द्वारा दिनांक 16.06.2015 से विभाग से प्राप्त प्रिन्टेड फार्म–16 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दिनांक 15.06.2015 तक यदि किसी प्रिन्टेड फार्म–16 की ट्रिपशीट तैयार कर दी गई है, ऐसे फार्म–16 दिनांक 15.06.2015 के बाद भी आयात हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं किन्तु दिनांक 16.06.2015 से सिर्फ e-Form 16 ही प्रयोग किए जाने हैं।"

इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त बिन्दु संख्या–7 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :–

7–"इन व्यापारियों द्वारा दिनांक 16.06.2015 से e-Form 16 सहित विभाग से प्राप्त प्रिन्टेड फार्म–16 का प्रयोग भी किया जा सकता है, परन्तु दिनांक 01.07.2015 से विभाग से प्राप्त प्रिन्टेड फार्म–16 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दिनांक 30.06.2015 तक यदि किसी प्रिन्टेड फार्म–16 की ट्रिपशीट तैयार कर दी गई है, ऐसे फार्म–16 दिनांक 30.06.2015 के बाद भी आयात हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं किन्तु दिनांक 01.07.2015 से सिर्फ e-Form 16 ही प्रयोग किए जाने हैं।"

उपरोक्त परिपत्र के अन्य समस्त निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगी।

उक्त परिपत्र को तदनुसार संशोधित मानते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाते हैं।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड

O/c

क्रमशः पेज–2

Aud

पृ0पत्र सं0– 1494 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– अध्यक्ष/सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।

4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमॉऊ जोन, रुद्रपुर।

5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

6– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

8– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9– मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून एवं वैब इन्फार्मेशन ऑफिसर को विभाग की वैबसाईट पर अपडेट करने हेतु।

10– आई0टी0 अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

11– Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर, II Floor, 13–आर0 सिंन्धुआ मार्ग, मुम्बई–400001, महाराष्ट्र।

12– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।

13– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

14– स्वास्तिक पब्लिकेशन एस–ई, 233, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद।

15– लॉ बुक ट्रेडर्स, 10–नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

16– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।

17– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

18– समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड

Aud